चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4128
दिनांक : फरवरी, 2009
18/3/09

सचिव,
डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन,
मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0–549/सत्तर–2–2008–2(686)/2008, दिनांक 30.12.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन**, मेरठ को एम0एड0 पाठ्यक्रम में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन **सत्र 2007–2008 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन**, मेरठ को एम0एड0 पाठ्यक्रम में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन **सत्र 2007–2008 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. डा0 आई0आर0एस0 सिन्धु, समन्वयक एम0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

COLLEGE OF EDUCATION MEERUT

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/197
दिनांक : 25.4.2011

सचिव
डॉ0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन,
मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-5995 / सत्तर-2-2008-2(266) / 2006, दिनांक 18.03.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन डॉ0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. प्रश्नगत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय / संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन / अनुमोदन पूरा कर लेगी और इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

DR. SHADI LAL COLLEGE OF EDUCATION MEERUT

प्रतिलिपि :-
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम वैबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-2158/2015 /124152 Date: 18 SEP 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the recognition was granted by NRC to **Shadi Lal College of Education, Sardhana Road, District – Meerut, State – Uttar Pradesh, Pin Code – 250001,** for M.Ed. Course vide order No. NRC/NCTE/F-7/UP-2158/Appeal/160th Meeting / 2010/26223 dated 31.07.2010 with an annual intake of 35 seats.

3. **AND WHEREAS,** the said institution has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for one basic unit in M.Ed., which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

(iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. **Now therefore,** in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Shadi Lal College of Education, Sardhana Road, District – Meerut, State – Uttar Pradesh, Pin Code – 250001,** for conducting M.Ed. programme of **two year duration** with an **annual intake of 50 for one basic unit of 50 students each from the academic session 2015-16** subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

SHADI LAL COLLEGE OF EDUCATION MEERUT

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail. : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति

CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

संख्याःई0स0-2738/जी0एस0 दिनांक 11 जनवरी, 2007

आदेश

डॉ0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा-37(2) के "परन्तुक" के अधीन दिनांक 1-7-2004 से एक वर्ष की अवधि हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि इस सचिवालय के आदेश संख्याः ई0स0-2273/ जी0एस0 दिनांक 22-09-2005 के व्दारा डॉ0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में कतिपय कमियों के कारण शिक्षण सत्र 2005-06 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध संस्था व्दारा मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-78104/2005 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित किये गये आदेश दिनांक 12-02-2006 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः-

" The similar petition being Writ petition No. 1333 of 2006 (Academy of Business Management and another Vs. State of U. P. and others), has been allowed by the judgment dated 12-01-2006. All relevant facts of that case are similar to the facts of the present writ petition. Therefore, after hearing, learned counsel for the petitioner, Shri Neeraj Tripathi for the Chancellor, Rajeev Joshi for NCTE and Shri Anurag Khanna for the University, this writ petition is also allowed in the same terms and with same directions as contained in the judgment dated 12-01-2006 referred above. A copy of the order dated 12-01-2006 will accompany the certified copy of this order."

मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद व्दारा पारित उपरोक्त आदेश के

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति
CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

जिसके व्दारा संस्था को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी० एड० पाठ्यक्रम में कतिपय कमियों के कारण शिक्षण सत्र 2005–06 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया था, को निरस्त करते हुए उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–37(2) के अधीन डॉ० शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ शिक्षण सत्र 2005–06 (दिनांक 1–7–2005) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा संस्था/ विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके व्दारा आरक्षण नियमों का विधिवत् पालन किया जायेगा तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता और निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

ह०
(टी० वी० राजेस्वर)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 46–ए, शान्तिपथ तिलकनगर, जयपुर।
4– प्रबन्धक/प्राचार्य, डॉ० शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ।

DR. SHADI LAL COLLEGE OF EDUCATION MEERUT

(लव वर्मा)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-2213/2015 | 114041   Date: 6 JUN 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the recognition was granted by NRC to **Dr. Shadi Lala College of Education, Sardhana Road, Kankar Khera, Meerut-250001, Uttar Pradesh** for B.Ed. (Add.) Course vide order no. NRC/NCTE/F-7/UP-2213/2009/72135-72141 dated 24.03.2009 with an annual additional intake of 100 seats (Existing 100 + additional 100 = 200) from the academic session 2009-2010.

3. **AND WHEREAS,** the said institution has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for four basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have four basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

(iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. **Now therefore,** in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Dr. Shadi Lala College of Education, Sardhana Road, Kankar Khera, Meerut-250001, Uttar Pradesh** for conducting B.Ed. programme of two years duration with an **annual intake of 200 for four basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016** subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति
गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1159/2005/ 4478

By Speed Post / Registered Post

CODE NO. APN00505

DATE: 01 JUL 2005

ORDER

Dr. Shadi Lal College of Education, Sardhana Road, Near Rain Basera Colony, Meerut (UP) - 250001 submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for BTC of two year duration in terms of section 15(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to **Dr. Shadi Lal College of Education, Sardhana Road, Near Rain Basera Colony, Meerut (UP) - 250001** for an annual intake of **50 seats (Fifty Only) (50 seats in the 1st year and the same for the IInd year)** in **BTC course of two year duration with effect from 28th June 2005** subject to compliance of the following Conditions before the commencement of the academic session.

(a) Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./SCERT is to be completed before the commencement of the session.
(b) The countersigned statement of all faculty members from the Director, SCERT should be submitted before the commencement of the academic session.
(c) The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
(d) The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
(e) That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.
(f) Before starting the course the institution should seek prior permission of the competent authority for conducting the exams and approval of the curriculum that they are going to adopt for the course.
(g) Institutions if starts the training programme without prior approval/permission of competent authority/examining body regarding the curriculum they have adopted and conduct of examination for award of Diploma/Certificate the recognition of such institutions shall be withdrawn.
(h) Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating body shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / State Govt. / Affiliating body.

Contd.2...

प्रारूप

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश स0/शि0स0/सम्बद्धता/ 5967-74 /2015-16 दिनांक: 24 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के पत्रांक रा0शै0/नि0शि0सं0/36813/2015-16 दिनांक 20.11.2015 के साथ संलग्न शासनादेश सं0 1489/15-11-2015 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 12.10.2015 द्वारा निजी संस्थान डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, मेरठ को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानको के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमे राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित सकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22.09.2015 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 / शि0स0/सम्बद्धता/ 5967-74 /2015-16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ।
7. प्रबन्धक/सचिव डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, मेरठ ।
8. गार्ड फाइल।

DILAL COLLEGE OF ... MEERUT

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner

संख्या–1489/15–11–2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2015

विषय– निजी संस्थान डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, मेरठ को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, मेरठ को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015–16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती हैः–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रकिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी वेब–साइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक–22.09.2015 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015–16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–1489 (1)/15–11–2015, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002
2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर 302005, राजस्थान।
3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
5– सचिव/प्रबन्धक, डा0 शादीलाल कालेज ऑफ एजूकेशन, सरधना रोड, मेरठ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

LAL COLLEGE OF EDUCATION MEERUT